


फर्द अहकाम

निरिन उमार बनाम मोहन लाल कौठ

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर

केस संख्या ...85/2025

छापन न.1.212 R.M

क. सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
10.10.25		<p>पत्रावली फेर हूड। पजील छापी उपस्थित। इल का में प्रहिवली सं. 1 बी ओर हे Adv. देडरत वरि ने पत्रालतनामा फेर तिम। इल का व पत्रावली के कवलोडन से जाहिए हे उ इल का उतवारी काद मोहन लाल १/5 निरिन कौठ, काद सं. 120/2025 के समुक्ति उदे जोने उे कौथे से हे व काद सं. 120/2025 में उतवपत्रो से सहमति से ठावठित डिडी जारी कर ही गई हे। अतः उत छापन न.1. में जारी स्वगत आदेय दिनांक 23/9/2025 को तर्किल इल का स्थायी / Confirm किया जात उचित समझते से</p> <p>अतः न्यायालय आदेय दिनांक 23/9/2025 को जारी अंतरिम अस्थायी निमे चारुा को तर्किल इल का स्थायी / Confirm किया जात है कि उतवपत्र उत विवादगत आराजीयात की मीडे व राजस्व रिमॉर ही यथावधि बनादे रखे। पत्रावली निरिन वुभात होत दाखिल दफतर से व इल का उे समुक्ति है।</p> <p></p> <p>सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.</p>